कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

पत्रांक :- 2158 /154एम-मु0क्षे0/20-21 दिनांक- 20.7.2020

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर।

विषय :- जनपद रामपुर में बिलासपुर मिलक (प्रमुख जिला मार्ग-33) मार्ग के चै0 0.609 के बिलासपुर खास, तहसील-बिलासपुर, जिला रामपुर के गाटा सं0-386 पर रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-997/51काम-रा0वृत/19-20 दिनांक 26.05.2020

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों यथा प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख, चेकलिस्ट एवं मानचित्र के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनो ओर 220 फीट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न किया जाये।
2. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से मानचित्र में दर्शायी गयी 18.30 मी0 की दूरी के बाद ही अस्थायी निर्माण किया जाये। (विस्तृत मानचित्र संलग्न)
3. विभिन्न मद का निर्माण कार्य गाईडलाइन के पृष्ठ सं0-24 के अनुसार मानचित्र में दर्शायी गयी माप एवं मानक विशिष्टियों के अनुरूप ही सम्पादित किया जाये।
4. समस्त निर्माण, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री का एकत्रीकरण मार्ग की स्थायी भूमि पर कदापि न किया जाये।
5. प्रस्तावित स्थल बिलासपुर मिलक मार्ग के कि0मी0 चै0 0.609 के बायीं ओर स्थित है।
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने जाने हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण (संलग्न मानचित्र) के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुसार आवेदक को स्वयं अपने निजी व्यय पर करना होगा।
7. रिटेल आउटलेट से पानी की समुचित निकासी हेतु पुलिया व नाली के निर्माण से सम्बन्धित ले आउट प्लान, पुलिया व नाली की परिकल्पना लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार की जाये तथा इसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कराना होगा।
8. रिटेल आउटलेट की स्थापना के फलस्वरूप यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यक साईनबोर्ड एवं रोड मार्किंग की व्यवस्था आवेदक को निजी व्यय पर कराना होगा।
9. भू-स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु दी गयी अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, भूमि के स्वामित्व का परीक्षण राजस्व विभाग द्वारा ही किया जाना है।
10. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहूँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। उक्त परिस्थिति में निर्गत अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा आवेदन को पुनः अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
11. मार्ग के प्रयोग में लाये जाने हेतु यदि भविष्य में कोई किराया निर्धारित किया जाता है तो उसका वहन सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जायेगा।
12. अनापत्ति प्रमाण पत्र लाईसेंस डीड के हस्ताक्षर उपरान्त 10 वर्ष के लिए वैध होगा। लीज डीड के वैधता तिथि के 06 माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदक का समस्त दस्तावेजों सहित पुनः आवेदन करना होगा।

राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर

Achint Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

Scanned by CamScanner

13. शासनादेश में निहित प्राविधानुसार लाइसेंस फीस रू0 3.00 लाख एवं प्रोसेसिंग फीस रू0 10,000.00 जमा करायी जाये।
14. शासन एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
15. नीति निर्देशों को उच्च स्तर से किन्हीं अन्य प्रकार से व्याख्यापित किया जाता है, तो उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
16. शासनादेश सं0-1882/23-12-19-1365/17टी0सी0 दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 द्वारा निर्गत गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
17. पहुंच मार्ग के निर्माण की विशिष्टियाँ शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार प्राविधानित किया जाएगा। विशिष्टियाँ एवं इसके प्रयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों को सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता से पूर्व से ही अनुमोदित कराना होगा।
18. भविष्य में मार्ग की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होता है तो अनापत्ति पर तत्सम्बन्धी मानक लागू होंगे एवं इस हेतु पुनः नई अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नः-1-मानचित्र एक प्रतियों में।
2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3-अधी0अभि0, रामपुर का पत्र सं0-997/51काम-रा0वृत/20 दि0 26.05.2020 के पत्र की छाया प्रति।

(विनय प्रकाश)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-997/51काम-रा0वृत/19-20 दिनांक 26.05.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर

Achint Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

F:\DK\World\Petrol Pamp.doc

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर

पत्रांकः— 396 /आर0एस0एल0ए0 दिनाँकः— 13/3/2020

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
रामपुर वृत, लो0नि0वि0,
रामपुर।

विषयः— जनपद रामपुर में बिलासपुर मिलक (प्रमुख जिला मार्ग—33) मार्ग के चै0 0.609 के बिलासपुर खास, तहसील—बिलासपुर, जिला रामपुर के गाटा संख्या 386 पर रिटेल आउट (पट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— जिलाधिकारी, रामपुर का कार्यालय पत्र सं0 267 /न्याय सहायक—।। दिनांक 9/1/2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त मानचित्रों का सत्यापन उपरान्त इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि प्रस्तावित पट्रोल पम्प के सामने मार्ग की स्थायी भूमि 18.28 मी0 सडक की मध्य रेखा से एक ओर प्रमाणित की जाती है। तथा आवदेक द्वारा सड़क की मध्य रेखा से एक ओर 18.30 मी0 की लम्बवत दूरी पर रिटेल आउटलेट को स्थापित करने की अनुमति चाही है। अतः उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के नियम—6(1) में निहित प्राविधानों के अनुसार मार्ग की मध्य रेखा से 18.30 मी0 की लम्बवत दूरी पर प्रस्तावित निर्माण की अनुमति दिये जाने की संस्तुति निम्नलिखित प्रतिबन्धो के साथ की जाती है।

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने है।
2. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
3. आवदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा - 13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवदक स्वंय उत्तरदायित्व होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के अन्दर है।
5. प्रस्तावित स्थल **बिलासपुर मिलक मार्ग के कि0मी0 चै0 0.609 के मध्य स्थित** है।
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नही है।
7. रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिए 1.00 कि0मी0 की दूरी तक कोई सर्विस बेरियर नहीं है।
8. बफर स्ट्रिप 7.50 मी0 लम्बाई एवं 3.00 मी0 चौडाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई 8.25 मी0 है।
9. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0—12—2009 के अनुसार किया जाये।
10. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 18.30 मी0, पम्प 27.30 मी0, 33.30 मी0 एवं भवन निर्माण 46.84 मी0 की दूरी पर नक्शे मे प्रदर्शित हैं।

(क) आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मान चित्रानुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 10 वर्षो के लिए लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।

(ख) आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन मे अवरोध उत्पन्न न होने पाये।

(ग) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वंय के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग की सतह पर नहीं आना चाहिए एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।

राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर

Achint Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

Scanned by CamScanner

(घ) फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.30 मी0 नीचा रखा जायेगा।

11. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइड खन्ती में 1.00 मी0 चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाइप के कैटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधापूर्वक रोड साइड ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द न किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
12. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0 13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
13. बफर स्ट्रिप के पास ग्रीन हैजिज की ऊंचाई 60.00 सेमी से ऊपर न रखी जाये।
14. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0 मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य प्रस्तावित मानचित्र दर्शित दूरियों को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
15. प्रस्तावित स्थल के ऊपर 100 मी0 दोनों ओर कोई रोड क्रासिंग नहीं होनी चाहिए।
16. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो, तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
17. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने से पूर्व आवेदक को अधिशासी अभियन्ता, **निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रामपुर** से लाईसेंस डीड कराना आवश्यक होगा।
18. भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, जिसका सत्यापन राजस्व विभाग से कराना आवश्यक होगा।
19. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो आवेदक को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0–33023–19/99–डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.03 में दी गयी गाइडलाईनों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
20. उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या–1882/23–12–19–1365/17टीसी दिनांक 04.12.2019 के अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिए मुबलिग रू0 3,00,000/– (रू0 तीन लाख मात्र) एक मुश्त लाइसेंस के रूप में एवं अहस्तान्तरणीय प्रोसेसिंग फीस के रूप में मुबलिग रू0 10, 000/– (रू0 दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर ली गयी हैं। (छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तुत हैं।)

संलग्नकः–

1. मानचित्र तीन प्रतियों में।
2. एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3. भू0–स्वामित्व की छायाप्रति, खतौनी/सेल डीड।
4. लीज डीड एग्रीमेन्ट तीन प्रति में।
5. जिलाधिकारी, रामपुर का संदर्भित पत्र।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर 12/3/2020
दिनाँकः–

पत्रॉकः– /आर0एस0एल0ए0

प्रतिलिपि –

1. प्रभारी अधिकारी, संयुक्त कार्यालय कृते जिलाधिकारी, रामपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता–I, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. खण्डीय कैशियर, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर को डी0डी0 प्राप्त करने हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रामपुर

राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर

Akshint Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर

पत्रांक–856/आर0एस0एल0ए0/2020 दिनांक– 23/7/2020

सेवा में,

जिलाधिकारी
रामपुर।

विषय– जनपद रामपुर में बिलासपुर मिलक (प्रमुख जिला मार्ग–33) मार्ग के कि0 0.609 के बिलासपुर खास, तहसील–बिलासपुर, जिला रामपुर के गाटा संख्या 386 पर रिटेल आउट (पट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक– 267/न्याय सहायक–II दिनांक 08–01–2020 एवं मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद के पत्र सं0– 2158/154एम–मु0क्षे0/20 दिनांक 20–07–2020

महोदय,

आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0 मुरादाबाद के द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20–07–2020 से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया है प्रकरण मूल में संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–

1 – मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद
का पत्र सं0– 2158/154एम–मु0क्षे0/20 दिनांक 20–07–2020 की छायाप्रति।

2 – अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त लो0नि0वि0, रामपुर
का पत्र सं0– 997/51काम–रा0वृत/20 दिनांक 26–05–2020 की छायाप्रति।

3 – साइड प्लान 1

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रामपुर
दिनांक 23/7/2020

पत्रांक– /आर0एस0एल0ए0/2020

प्रतिलिपि –

1. मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0 मुरादाबाद को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त लो0नि0वि0 रामपुर को उनके पत्र सं0– 997/51काम–रा0वृत/20 दिनांक 26–05–2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता–प्रथम, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर

Achint Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर

पत्रांकः– 997/51काम–रा0वृत्त/19–20 दिनांकः– 26/5/2020

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

विषयः– जनपद रामुपर में बिलासपुर मिलक (प्रमुख जिला मार्ग–32) मार्ग के चै0 0.609 के बिलासपुर खास, तहसील–बिलासपुर, जिला–रामपुर के गाटा संख्या 386 पर रिटेल आउट (पैट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर के पत्रांक 396/आर0एस0एन0 दिनांक 13.03.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रस्तावित जनपद रामपुर में बिलासपुर मिलक (प्रमुख जिला मार्ग–32) मार्ग के चै0 0.609 के बिलासपुर खास, तहसील–बिलासपुर, जिला–रामपुर के गाटा संख्या 386 पर रिटेल आउट (पैट्रोल पम्प) लगाये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर ने सन्दर्भित पत्र द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अनापत्ति हेतु संस्तुति सहित मानचित्र संलग्न करते हुए पूर्ण प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर पूर्ण प्रकरण दो मानचित्रों के साथ अग्रिम व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–
1. एनेक्जर एवं चैक लिस्ट।
2. मानचित्र दो प्रति मूल मे।
3. भू0–स्वामित्व की छायाप्रति, खतौनी/सेल डीड।
4. लीज डीड एग्रीमेन्ट दो प्रतियों में।
5. जिलाधिकारी, रामपुर का पत्र दि0–187/न्याय सहायक–।। दि0–23.10.2019।
6. अधि0 अभि0 के सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति।

(वीरेन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता,

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर।

26/6

Achint Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर

E:\ALL DATA\R.K Rastogi\51Com B(NOC).docx

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर

पत्राँकः— 402 /आर.एस.एल.ए. /2020 दिनाँकः— 16/3/2020

सेवा में,

श्री अंचित भावसर
टेरीटरी मैनेजर (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०
बरेली।

विषयः— जनपद रामपुर में बिलासपुर मिलक (प्रमुख जिला मार्ग—33) मार्ग के चै० 0.609 के बिलासपुर खास, तहसील—बिलासपुर, जिला रामपुर के गाटा संख्या 386 पर लो०नि० की सड़क की नाली पर पुलिया एवं पहुंच मार्ग की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ— आपका पत्र दिनांक ...

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मार्ग चैनेज 0.609 से 0.633 तक गाटा संख्या पर पुलिया पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन लीज की जाती है।

1. निर्माण से पूर्व पहुंच मार्ग हेतु संरक्षित वन भूमि मार्ग के किनारे के रौपड के गैर वानिकी उप एवं वान्धक वृक्षों के पालन की अनुमति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय उपवन सं केन्द्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. मानचित्रों के अनुसार ही नाली, पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण करना होगा।
3. पुलिया के स्लैब की ऊपर सतह लो०नि०वि० मार्ग की लेपन सतह से 30 सेमी नीचे रखनी हो
4. पुलिया का निर्माण कराते समय पानी के निकासी में किसी प्रकार की बाधा नही डाली जायेगी
5. भू—भाग के सामने वाले भाग में नाले की सफाई आदि का प्रबन्ध समय—समय पर आपको क होगा, जिससे पानी की निकासी अवरूद्ध न हो पाये।
6. पुलिया का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात इस विभाग को लिखित में सूचित करना आवश्यक हो
7. अन्य शर्ते आपके द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध के अनुसार होगी।

आपका लीज क्रमांक (60) पर पंजीकृत किया जाता है।

संलग्नकः— मानचित्र एक प्रति मूल में।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रामपुर

पत्राँकः— /आर.एस.एल.ए. /2020 दिनाँकः—

प्रतिलिपि — सहायक अभियन्ता— I, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रामपुर

Achint Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर

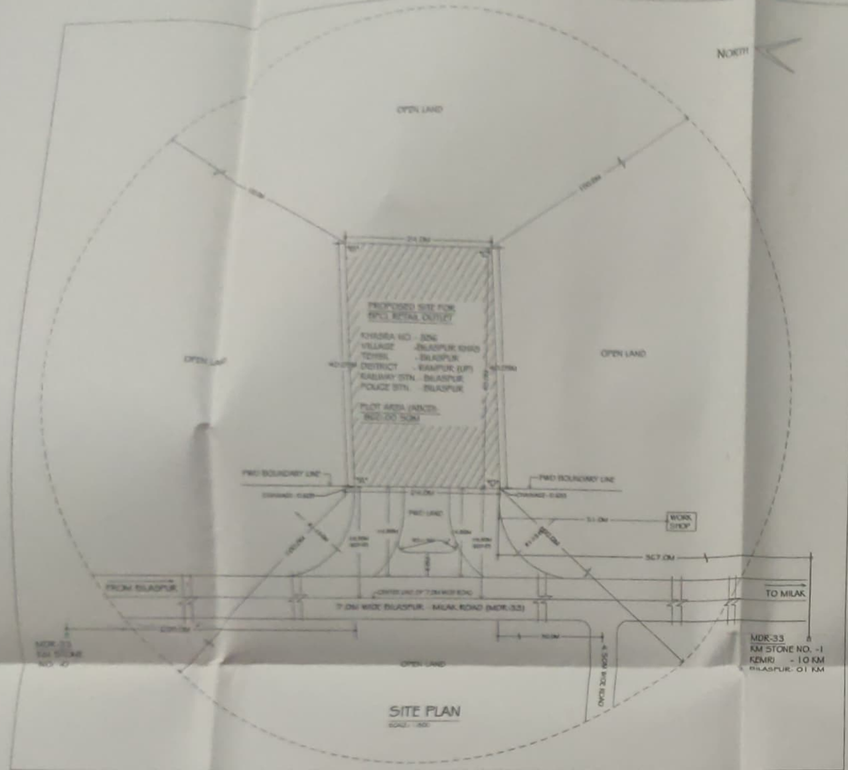

SITE PLAN

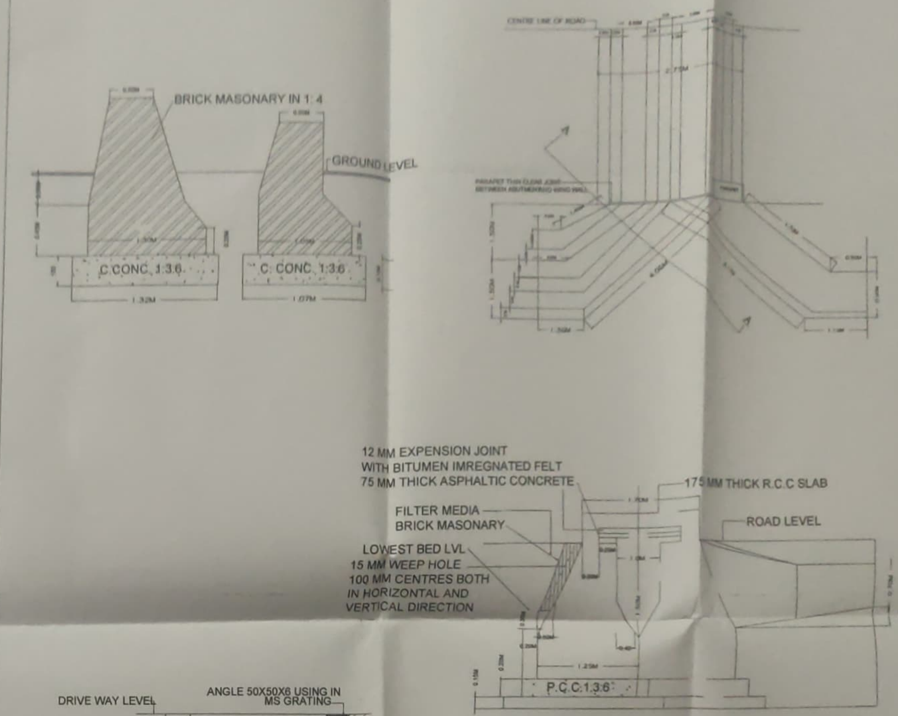

HALF SECTION ELEVATION

LEGEND
PROP. WORK SHOWN
IN RED

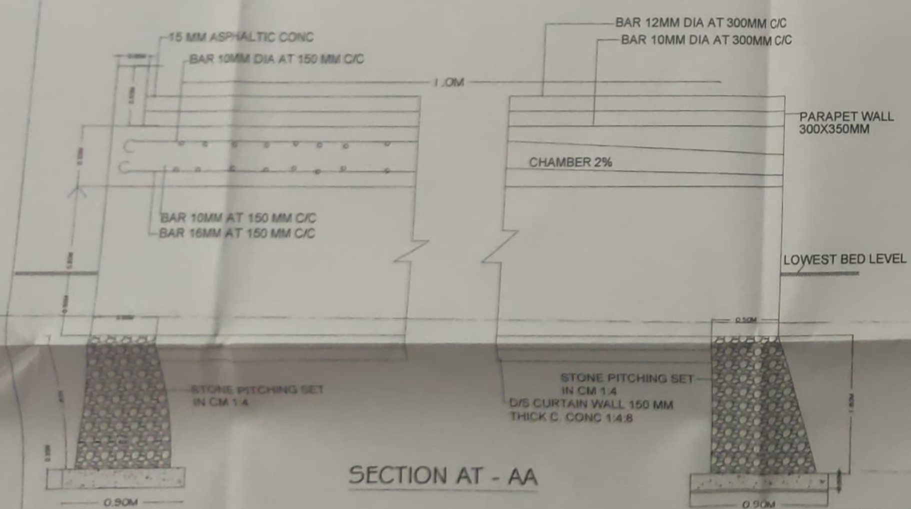

SECTION AT - AA

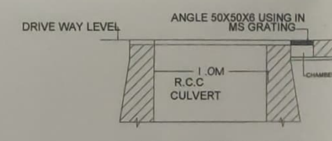

CROSS SECTION FOR R.C.C CULVERT

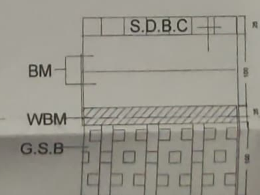

CRUST OF SERVICE ROAD
DIM. IN MTR

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED

SUBJECT - LAY OUT PLAN OF PROPOSED 1.0M SPAN R.C.C CULVERT DRG OF NEW RETAIL OUT AT VILLAGE BILASPUR KHAS GATA NO 386 AT KM CHAINAGE 0.609 LHS ON BILASPUR - MILAK (MDR-33) TEHSIL BILASPUR DISTRICT RAMPUR (U.P)

CHAINAGE - 0.609 (LHS)

PLOT / KHASRA NO	386
TOWN / VILLAGE	BILASPUR KHAS
NEAREST RLY STATION	BILASPUR
NEAREST POLICE STATION	BILASPUR
TEHSIL / TOWN AREA	BILASPUR
DISTRICT	RAMPUR
STATE	UTTAR PRADESH

DRG.NO	DATE	SCALE	PREPARED BY-	CHECKED & SUMITTED BY-
NRO BILASPUR KHAS (RAMPUR) CUVERT DRG	FEBRUARY 2020		SAAA ENGINEERING CONCEPT	PRATYASHA GOGOI

Achint Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

बेलासपुर मिलक (प्रमुख जिला मार्ग) मार्ग के 0.609 से 0.635 तक के मध्य बिलासपुर खास, तहसील बेलासपुर, जिला रामपुर के गाटा संख्या 386 पर लो0नि0वि0 की सड़क की नाली पर पुलिया एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन करना अनिवार्य होगा।

1. निर्माण से पूर्व पहुंच मार्ग हेतु संरक्षित वन भूमि मार्ग के किनारे के पीपड़ के गैर वानिकी उपयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय उपवन संरक्षक केन्द्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. मानचित्रों के अनुसार ही नाली, पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण करना होगा।
3. पुलिया के स्लैब की ऊपर सतह लो0नि0वि0 मार्ग की लेपन सतह से 30 सेमी नीचे रखनी होगी।
4. पुलिया का निर्माण कराते समय पानी के निकासी में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जायेगी।
5. भू-भाग के सामने वाले भाग में नाले की सफाई आदि का प्रबन्ध समय-समय पर आपको करना होगा, जिससे पानी की निकासी अवरूद्ध न हो पाये।
6. पुलिया का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात इस विभाग को लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा।
7. अन्य शर्तें आपके द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध के अनुसार होगी।

आपका लीज क्रमांक (60) पर पंजीकृत किया जाता है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड ... लो0 नि0 वि0

अधिशासी अभियन्ता
रामपुर
17/3/2020

राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर